न्यायालय ::– अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	:	**सुन्दर लाल खारोल आर.जे.एस.** **(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
सेशन प्रकरण संख्या	:	**32/2022**
प्रथम सूचना संख्या	:	**102/2022 पुलिस थाना नावां शहर**
अनवान	:	**राज्य बनाम मोतीसिंह व अन्य**
सीएनआर नम्बर	:	RJDK050011082022

उपस्थिति :–

01.	प्रार्थी/राज्य की ओर से	–	श्री मनीष शर्मा, अपर लोक अभियोजक।
02.	प्रार्थिया/परिवादिया की ओर से	–	श्री बोदूराम चौधरी, अधिवक्ता।
03.	अप्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से	–	श्री अनिल कुमार जोशी, श्री अभिनव जोशी, अधिवक्तागण।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता

दिनांक :– 06.01.2026

–:: आदेश ::–

1. इस आदेश के द्वारा प्रार्थिया श्रीमति सरिता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत पृथक–पृथक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता (संक्षिप्तता हेतु सीआरपीसी) दिनांक 18.12.2025 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. हस्तगत प्रकरण के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने S.B. Criminal Misc. Bail Application no 11142/2024 S.B. Misc. Criminal Second Bail Application No 1116/2025 में पारित आदेश दिनांक 26.11.2025 में "*However, Learnt trial Court is directed to expedite the trial and conclude the same as soon as possible, preferably within a period of three months.*" आदेश पारित किए गए है।

3. प्रार्थी/राज्य तथा प्रार्थिया श्रीमति सरिता की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्रों में समान तथ्य अंकित करते हुए वर्णित किया है कि इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री धर्मेन्द्र, तत्कालिन थानाधिकारी, नावां के कथन इस न्यायालय में दिनांक 18.07.2024 को लेखबद्ध किए गए है। अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान के दौरान इस प्रकरण में सील्डशुदा कपडे का पैकेट

मार्क–बी, जिसमें बांस की लाठी है, शील्डशुदा कपडे का पेकेट मार्क–सी, जिसमें कपडे का तौलिया है, शील्डशुदा एक लिफाफा मार्क–सी, जिसमें Plucked Hair है एवं शील्डशुदा एक लिफाफा मार्क–डी, जिसमें Dry Blood Gauze Piece को जरिये फर्द जब्त कर मालखाना में जमा करवाया था। इनके संबंध में एफ.एस.एल रिपोर्ट एवं संबंधित मालखाना विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर से दिनांक 21.01.2025 को प्राप्त हुई है। अनुसंधान अधिकारी के कथन लेखबद्ध किए जाने के समय संबंधित एफ.एस.एल रिपोर्ट एवं मालखाना विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर से प्राप्त नही हुए थे। इस कारण उक्त एफ.एस.एल. रिपोर्ट एवं मालखाना के संबंध में उक्त साक्षी की साक्ष्य न्यायालय में लेखबद्ध नही हो पाई है।

4. उक्त प्रार्थना–पत्रों में समान तथ्य अंकित करते हुए आगे वर्णित किया है कि प्रकरण में उपरोक्त दस्तावेजात एवं मालखाना की हद तक उक्त साक्ष्य की साक्ष्य न्यायसंगत उददेश्य की पूर्ति हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा करवाई जानी आवश्यक है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र प्रकरण में किसी प्रकार की देरी उत्पन्न करने के और अभियुक्तगण को किसी प्रकार की अनुचित हानि पहुंचाने के लिए नही होकर सत्य के उदघाटन एवं न्यायिक विवेक के सम्यक प्रयोग हेतु है। इसलिए धर्मेन्द्र, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना नावां को उक्त एफ.एस.एल रिपोर्ट एवं जब्तशुदा मालखाना की सीमा तक पुनः तलब कर उसकी साक्ष्य लेखबद्ध करवाए जाने का निवेदन किया।

5. इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी/अभियुक्तगण ने प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया।

6. बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थिया/परिवादिया श्रीमति सरिता की ओर से अधिवक्ता प्रार्थिया एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक ने बहस के दौरान प्रार्थना–पत्रों में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये यह तर्क दिये है कि हस्तगत प्रकरण में दौराने अनुसंधान जब्तशुदा सील्डशुदा कपडे का पैकेट मार्क–बी, जिसमें बांस की लाठी है, शील्डशुदा कपडे का पेकेट मार्क–सी, जिसमें कपडे का तौलिया है, शील्डशुदा

एक लिफाफा मार्क–सी, जिसमें Plucked Hair है एवं शील्डशुदा एक लिफाफा मार्क–डी, जिसमें Dry Blood Gauze Piece विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक जांच हेतु प्रेषित किए गए थे। उक्त जब्तशुदा सामग्री के संबंध में एफ.एस.एस. रिपोर्ट दिनांक 21.01.2025 को प्राप्त हुई थी। परन्तु उक्त जब्ती कार्यवाही करने वाले अनुसंधान अधिकारी धर्मेन्द्र के न्यायालय कथन दिनांक 18.07.2024 को लेखबद्ध किए जा चुके है।

8. प्रार्थिया/परिवादिया श्रीमति सरिता की ओर से अधिवक्ता प्रार्थिया एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक ने बहस के दौरान आगे तर्क दिये है कि उक्त जब्तशुदा सामग्री को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाने तथा प्रदर्शित कराने में अभियोजन पक्ष, सामग्री की की अनुपलब्धता के कारण असमर्थ रहा है। उक्त सभी सामग्री प्रकरण के आवश्यक विनिर्णयन हेतु आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उक्त धर्मेन्द्र, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना नावां को उपरोक्त जब्तशुदासामग्री एवं एफ.एस.एल. रिपोर्ट के साक्ष्य की सीमा तक पुनः तलब करने का निवेदन किया है।

9. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण/अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का स्वीकार करने बाबत् अनापत्ति जाहिर की है तथा तर्क प्रस्तुत किए है कि उक्त गवाह धर्मेन्द्र को उक्त सामग्री एवं एफ.एस.एल. के साक्ष्य की सीमा तक पुनः बुलाने पर अभियुक्त पक्ष को कोई आपत्ति नही होने का निवेदन किया है।

10. उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

11. <u>उपरोक्त प्रार्थना पत्र के विवेचन से पूर्व न्यायालय को यह देखना है कि क्या प्रार्थिया/परिवादिया पक्ष पृथक से किसी प्रार्थना पत्र को पेश कर सकता है अथवा परिवादिया पक्ष केवल अपर लोक अभियोजक की सहायता कर सकता है?</u>

12. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **Rekha Murarka Vs The State of West Bengal and Anr.** Criminal Appeal No. 1727 Of 2019 [2019 SCC Online SC 1495] Date 20.11.2019 में परिवादी पक्ष को

मात्र लोक अभियोजक के सहायक के रूप में होने बाबत् निम्न मत अभिव्यक्त किया हैः–

> "12.5 However, even if there is a situation where the Public Prosecutor fails to highlight some issue of importance despite it having been suggested by the victim's counsel, the victim's counsel may still not be given the unbridled mantle of making oral arguments or examining witnesses. This is because in such cases, **he still has a recourse by channelling his questions or arguments through the Judge first.** For instance, if the victim's counsel finds that the Public Prosecutor has not examined a witness properly and not incorporated his suggestions either, he may bring certain questions to the notice of the Court. If the Judge finds merit in them, he may take action accordingly by invoking his powers under Section 311 of the CrPC or Section 165 of the Indian Evidence Act, 1872. In this regard, we agree with the observations made by the Tripura High Court in **Smt. Uma Saha v. State of Tripur**a (supra) that the **victim's counsel has a limited right of assisting the prosecution, which may extend to suggesting questions to the Court or the prosecution, but not putting them by himself**."

13. इस प्रकार यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि परिवादिया की ओर से प्रकरण में सहायता हेतु प्राईवेट अधिवक्ता नियुक्ति न्यायालय की अनुमति से कर सकता है, परन्तु सीआरपीसी की धारा 24(8) के परन्तुक के तहत केवल सहायता (assist) कर सकता है। हालाकि उपरोक्त न्यायिक मत के अनुसार यदि परिवादी पक्ष को किसी विधिक असंगतता के बारे में न्यायालय को अवगत करवाता है तो न्यायालय के पास यह विवेकाधिकार है कि वह उक्त असंगतता के संबंध में यथोचित आदेश पारित कर सकता है।

14. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में चूकिं परिवादी पक्ष ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सीआरपीसी प्रस्तुत किया है परन्तु उक्त प्रार्थना के द्वारा वह न्यायालय को किसी गवाह के न्यायनिर्णय हेतु आवश्यकता की जानकारी दे सकता है। यह न्यायालय का विवेक है कि वह उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित असंगतता के संबंध में किसी प्रकार का आदेश पारित करे अथवा नही। परिवादी पक्ष का प्राईवेट अधिवक्ता, केवल लोक अभियोजक की अभियोजन में सहायता कर सकता है।

15. चूंकि हस्तगत प्रकरण में समान तथ्यो के आधार पर विद्वान अपर लोक

अभियोजक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सीआरपीसी प्रस्तुत किया है, ऐसे में उक्त अपर लोक अभियोजक के प्रार्थना पत्र के संबंध में ही विवेचन किया जाना दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार न्यायोचित प्रतीत होता है। चूंकि अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र समान तथ्यो को प्रकट करते हुए प्रस्तुत किया गया है, ऐसे में परिवादिया पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादिया पक्ष के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने से किसी भी विवेचन की आवश्यकता नहीं रखता है। प्रार्थिया/परिवादिया पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

16. इसके पश्चात आगे अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में विस्तृत विवेचन किया जा रहा है।

17. उपरोक्त प्रार्थना पत्र का विवेचन से पूर्व धारा 311 सीआरपीसी के संबंध में विधिक स्थिति का अवलोकन किया जाए तो धारा 311 सीआरपीसी उपबंधित करती है किः–

> "**311. Power to summon material witness, or examine person present.**—Any Court may, at any stage of any inquiry, trial or other proceeding under this Code, summon any person as a witness, or examine any person in attendance, though not summoned as a witness, or **recall and re-examine any person already examined**; and the Court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be **essential to the just decision of the case**."

18. धारा 311 सीआरपीसी के संबंध में विस्तृत विवेचना करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **Rajaram Prasad Yadav v. State of Bihar,** SLP (CRL.) No. 2400 of 2011 [(2013) 14 SCC 461] Date 04.07.2013 में निम्न मत अभिव्यक्त किया हैः–

> "23. From a conspectus consideration of the above decisions, while dealing with an application under Section 311 Cr.P.C. read along with Section 138 of the Evidence Act, we feel the following principles will have to be borne in mind by the Courts:
>
> a) Whether the Court is right in thinking that the new evidence is needed by it? Whether the evidence sought to be led in under Section 311 is noted by the Court for a just decision of a case?
>
> b) The exercise of the widest discretionary power under

Section 311 Cr.P.C. should ensure that the judgment should not be rendered on inchoate, inconclusive speculative presentation of facts, as thereby the ends of justice would be defeated.

c) If evidence of any witness appears to the Court to be essential to the just decision of the case, it is the power of the Court to summon and examine or recall and re-examine any such person.

d) The exercise of power under Section 311 Cr.P.C. should be resorted to only with the object of finding out the truth or obtaining proper proof for such facts, which will lead to a just and correct decision of the case.

e) The exercise of the said power cannot be dubbed as filling in a lacuna in a prosecution case, unless the facts and circumstances of the case make it apparent that the exercise of power by the Court would result in causing serious prejudice to the accused, resulting in miscarriage of justice.

f) **The wide discretionary power should be exercised judiciously and not arbitrarily**.

g) **The Court must satisfy itself that it was in every respect essential to examine such a witness or to recall him for further examination in order to arrive at a just decision of the case.**

h) The object of Section 311 Cr.P.C. simultaneously imposes a duty on the Court to determine the truth and to render a just decision.

i) The Court arrives at the conclusion that additional evidence is necessary, not because it would be impossible to pronounce the judgment without it, but because there would be a failure of justice without such evidence being considered.

j) Exigency of the situation, fair play and good sense should be the safe guard, while exercising the discretion. The Court should bear in mind that no party in a trial can be foreclosed from correcting errors and that if proper evidence was not adduced or a relevant material was not brought on record due to any inadvertence, the Court should be magnanimous in permitting such mistakes to be rectified.

k) The Court should be conscious of the position that after all the trial is basically for the prisoners and the Court should afford an opportunity to them in the fairest manner possible. In that parity of reasoning, it would be safe to err in favour of the accused getting an opportunity rather than protecting the prosecution against possible prejudice at the cost of the accused. The Court should bear in mind that improper or capricious exercise of such a discretionary power, may lead to undesirable results.

---

l) The additional evidence must not be received as a disguise or to change the nature of the case against any of the party.

m) The power must be exercised keeping in mind that the evidence that is likely to be tendered, would be germane to the issue involved and also ensure that an opportunity of rebuttal is given to the other party.

n) The power under Section 311 Cr.P.C. must therefore, be invoked by the Court only in order to meet the ends of justice for strong and valid reasons and the same must be exercised with care, caution and circumspection. The Court should bear in mind that fair trial entails the interest of the accused, the victim and the society and, therefore, the grant of fair and proper opportunities to the persons concerned, must be ensured being a constitutional goal, as well as a human right"

19. इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **Zahira Habibulla H. Sheikh and Anr. v. State of Gujarat and Ors**., Appeal (crl.) 446-449 of 2004 [(2004) 4 SCC 158] Date 12.04.2004 में निम्न मत अभिव्यक्त किए हैः–

"46. Ultimately, as noted above, ad nauseam the duty of the Court is to arrive at the truth and subserve the ends of justice. Section 311 of the Code does not confer any party any right to examine, cross-examine and re-examine any witness. This is a power given to the Court not to be merely exercised at the bidding of any one party/person but the powers conferred and discretion vested are to prevent any irretrievable or immeasurable damage to the cause of society, public interest and miscarriage of justice. Recourse may be had by Courts to power under this section **only for the purpose of discovering relevant facts or obtaining proper proof of such facts as are necessary to arrive at a justice decision in the case**"

20. इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शब्द की व्याख्या करते हुए न्यायिक दृष्टान्त **Rajendra Prasad vs Narcotic Cell** Appeal (crl.) 621 of 1999 [(1999) 6 SCC 110] Date 12.7.1999 में निम्न मत अभिव्यक्त किया हैः–

"Lacuna in the prosecution must be understood as the inherent weakness or a latent wedge in the matrix of the prosecution case. The advantage of it should normally go to the accused in the trail of the case, but an over sight in the management of the prosecution cannot be treated as irreparable lacuna. No parry in a trial can before-closed from correcting errors. If proper evidence was not adduced

> or a relevant material was not brought on record due to any inadvertence, the court should be magnanimous in permitting such mistakes to be rectified. After all, function of the criminal Court is administration of criminal justice and not to count errors committed by the parties or to find out and declare who among the parties performed better.

21. उपरोक्त मत का अवलम्ब लेते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **Suresh Kumar Vs State & Ors.** S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 6551/2020 [2021 Supreme(Raj) 390] Date 19.02.2021 में अनुसंधान अधिकारी के कथनो में जब्तशुदा आर्टिकल को प्रदर्शित नही करवाने पर निम्न मत अभिव्यक्त किया हैः–

> "6. In view of above legal position, it is apparent that the articles seized during the course of investigation could not be exhibited at the time of examination of the Investigating Officer due to lapse on the part of Additional Public Prosecutor but for just decision of the case, the said articles are required to be exhibited so that both the parties may examine the concerned Investigating Officer and the trial court may get benefited to arrive at a right conclusion in the matter for just decision of the case."

22. उपरोक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में हस्तगत पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो प्रकरण वर्तमान में साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर लम्बित है। प्रकरण में गवाह पी.ड. 06 धर्मेश दायमा के कथन दिनांक 18.07.2024 को लेखबद्ध किए गए थे। उक्त दिनांक को उक्त जब्तशुदा सामग्री के संबंध में एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त नही हुई थी। एफ.एस.एल रिपोर्ट प्रदर्श पी 225 पर दिनांक 21.01.2025 अंकित है, इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि साक्ष्य लेखबद्ध करने की दिनांक 18.07.2024 को उक्त सील्डशुदा मालखाना एफ.एस.एल कार्यालय में था तथा मालखाने की अनुपलब्धता के कारण उक्त मालखाना प्रदर्शित नही हो सकी है।

23. हालांकि यह दायित्व अभियोजन का होता है कि वह इस तथ्य से न्यायालय को अवगत करवावे कि उक्त मालखाना एफ.एस.एल. कार्यालय में होने से अनुपलब्ध है, परन्तु उक्त मानवीय भूल को *Lacuna* के रूप में परिभाषित नही किया जा सकता है। चूंकि उक्त दस्तावेजात समग्र न्यायनिर्णयन *(Just decision)* हेतु आवश्यक है तथा उक्त गवाह को पुनः बुलाने के संबंध में अप्रार्थी पक्ष ने भी अनापत्ति जाहिर की है। ऐसे मे उचित न्यायनिर्णयन हेतु

उक्त गवाह पी.ड. 06 धर्मेश, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना नावां को उक्त सील्डशुदा आर्टिकल्स एवं एफ.एस.एल. रिपोर्ट के साक्ष्य की हद तक पुन : बुलाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रार्थी/राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सीआरपीसी को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:– आदेश :–

24. अतः सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर प्रार्थी/राज्य की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सीआरपीसी दिनांक 18.12.2025 एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष गवाह धर्मेश, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना नावां को सील्डशुदा आर्टिकल्स एवं एफ.एस.एल. रिपोर्ट की हद तक साक्ष्य पेश करने हेतु उपस्थित रखें।

(सुन्दर लाल खारोल)
अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन।

25. आदेश आज दिनांक 06.01.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित व प्रसारित किया गया।

(सुन्दर लाल खारोल)
अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन।